राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.4(10)नविवि / II / 2019 जयपुर, दिनांकः 20.07.2019

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

श्री भंवरू खां, अधिशाषी अभियंता, नगर विकास न्यास, बीकानेर को दिनांक 22.07.2019 से 05.09.2019 (46 दिवस) तक विदेश यात्रा (सऊदी अरब) निजी यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः–

1. विदेश यात्रा इनकी निजी यात्रा होगी इस हेतु राज्य सरकार किसी प्रकार का खर्च वहन नहीं करेगी।
2. विदेश यात्रा के दौरान व्यवसाय का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन एवं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे।
4. प्रथम बार आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी। अवकाश स्वीकृति की निर्धारित अवधि में वापस आयेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार की विदेश सेवा ग्रहण नहीं करेंगे।
6. विदेश प्रवास के दौरान जहां रहेगे वहां के पते के बारे में विभाग को अवगत करायेंगे।
7. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने हेतु नहीं लिखा जावेगा।
8. सक्षम स्तर से अवकाश स्वीकृत कराकर ही विदेश प्रस्थान करेंगे।
9. विदेश से इनका त्याग–पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. यह मात्र अनापत्ति–पत्र हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि विदेश प्रस्थान से पूर्व राजकीय अनुमति प्राप्त नहीं की जावें, राजकीय अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कन्हैयालाल स्वामी)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर। व.शा.उ., नविवि को ३/५(M)०१५ हेतु
4. संबंधित अधिकारी।
5. रक्षित पत्रावली।

(कैलाश चन्द्र कुमावत)
सहायक शासन सचिव–द्वितीय